न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

निगरानी प्र0 क0 2231–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 10–04–2013 पारित अपर कलेक्टर, नौगॉव जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 29/निगरानी/11–12.

1– भजनलाल तनय छिम्मा अहिरवार
2– श्रीमती घुमानीबाई बवा मथुराप्रसाद यादव
3– श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नी गोबिन्ददास यादव
सभी निवासी ग्राम ठठेवरा, तह0 नौगॉव,
जि। छतरपुर म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– छल्काई अहिरवार तनय छिम्मा अहिरवार
2– श्रीमती बैनीबाई बेवा रामदयाल अहिरवार
3– राजकुमार तनय रामदयाल अहिरवार
सभी निवासी ग्राम ठठेवरा, तह0 नौगॉव,
जि। छतरपुर, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री पी0 एस0 बघेल, अभिभाषक – आवेदकगण
श्रीमती रजनी वशिष्ठ, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 21.7.14 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, नौगॉव जिला छतरपुर के प्र0 क0 29/निगरानी/11–12 में पारित

अन्तरिम आदेश दिनांक 10–04–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक हल्काई अहिरवार ने तहसीलदार नौगॉव के बटवारा आदेश दिनांक 15–06–06 से असन्तुष्ट होकर अपील 28–8–09 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। हल्काई ने विलम्ब को माफ करने हेतु आवेदनपत्र समयावधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के बिन्दू पर उभय पक्ष को सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनाक 17–10–11 में यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी/अनावेदक अनुसूचित जाति वर्ग की अशिक्षित ग्रामीण निर्धन व्यक्ति है। उसे बटवारे में हिस्से से कम भूमि दी गयी है तथा उसके अधिवक्ता व्दारा आदेश से समय पर संसूचित नहीं किया। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब को माफ कर अपील सुनवायी हेतु ग्राह्य की। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी निगरानी अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनाक 10–04–13 व्दारा खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार व्दारा सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया। अनावेदक व्दारा तहसील के बटवारा आदेश के 3 वर्ष पश्चात अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण नहीं होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब को माफ कर अपील ग्राह्य करने में त्रुटि की है। उनका तर्क है कि विलम्ब को तभी माफ किया जा सकता है जब प्रत्येक दिन का समुचित स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाय, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश पारित

करते समय इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अपर कलेक्टर व्दारा भी निगरानी में आदेश पारित करते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और बटवारे में कम भूमि प्राप्त होना मानकर निगरानी खारिज की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक हल्काई अनपढ़ ग्रामीण महिला है। पटवारी व्दारा अनावेदक की निशानी अंगूठा कोरे कागज पर लगवाये गये। अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर उसके व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक को उसके हिस्से अनुसार भूमि बटवारे में नहीं देते हुए कम भूमि दी गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक हल्काई ने प्रस्तुत म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदनपत्र में यह उल्लेख किया है कि बटवारा प्रकरण की नकल 6–8–09 को प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि उत्तरवादी कमांक 4 व 5 ने जो रकबा 0.550 आरे मनसुख अहिरवार का कय किया था उससे अधिक 0.785 आरे भूमि तत्कालीन पटवारी से मिलकर चुपचाप बटवारे में प्राप्त कर ली जिससे अपीलार्थी एव उत्तरवादी क0 1 से 3 के मूल रकबे में कमी आयी। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनावेदक हल्काई को बटवारे में हिस्सा अनुसार कम रकबा दिया गया। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि विकयपत्र दिनांक 01–08–96 से श्रीमती भुमानी देवी एवं श्रीमती मुन्नीदेवी ने मनसुखा तनय छिम्मा से कुल किता 7 रकबा 2.202 हे. में हिस्सा 1/4 रकबा 0.550 हे. कय किया था, किन्तु फर्द बटवारे में कुल किता 5 कुल रकबा 0.785 हे. प्रदत्त किया गया है। फर्द बटवारे पर लगे निशानी अंगूठा से स्पष्ट है कि अनावेदक हल्काई अनपढ़ ग्रामीण महिला है। संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत

खाते का विभाजन स्वत्व अनुसार अधिकार अभिलेख में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर करने का प्रावधान है। जब आवेदकगण श्रीमती भुमानी देवी एव श्रीमती मुन्नीदेवी ने मनसुखा तनय छिम्मा से कुल किता 7 रकबा 2.202 हे. में हिस्सा 1/4 रकबा 0.550 हे. क्रय किया था, तब फर्द बटवारे में कुल किता 5 कुल रकबा 0.785 हे. प्रदत्त कर अनावेदक हल्काई के अनपढ़ होने का अनुचित लाभ उठाते हुए उसे स्वत्व से कम रकबा खाता विभाजन में देना राजस्व कर्मचारी/अधिकारी की सन्निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह का द्योतक है, इस कारण न्यायहेत मे अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब को माफ करने में कोई त्रुटि नहीं की है जिसे अपर कलेक्टर व्दारा भी निगरानी में यथावत रखा गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हैं। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 10–04–13 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17–10–11 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0